बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 370837 पटना, दिनांक 23/05/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो(रा0ह018-19)-102-27/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
(अरवल, बेगुसराय, मधेपुरा, सीतामढ़ी एवं मधुबनी को छोड़कर) ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु सेवा प्राप्त कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक भुगतान हेतु निधि की अधियाचना के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-365017 दिनांक-13.04.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु सेवा प्राप्त कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में निधि की आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी । इस संबंध में समय-समय पर ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद अबतक मात्र पाँच जिलों यथा-अरवल, बेगुसराय, मधेपुरा, सीतामढ़ी एवं मधुबनी से हीं प्रतिवेदन प्राप्त हो सके हैं ।

जिलों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस निमित्त निधि का हस्तांतरण संभव नहीं है तथा इस कारण से कार्यरत कार्यपालक सहायकों का पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब की जवाबदेही जिलों की होगी ।

अत: अनुरोध है कि निम्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 25.05.2018 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

<u>प्रपत्र</u>

कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सं0	**प्रतिमाह अनुमान्य मानदेय/पारिश्रमिक**	**अनुमान्य वार्षिक व्यय (01.04.18 से 31.03.19 तक के लिए)**	**पूर्व से यदि कोई राशि उपलब्ध हो/देय हो तो उसका विवरण**	**अधियाचना की राशि**
1	2	3	4	5

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2152 A.doc